केन्द्रीय विद्यालय एन एम आर जेएनयू

**कक्षा एक 2023-24 में प्रवेश के लिए पंजीकरण फॉर्म भरते समय याद रखने वाले बिंदु**

**क**. के.वी. JNU में ६ श्रेणीयाँ है

1. श्रेणी 1 केवल स्थायी / नियमित / सेवारत या सेवानिवृत्त माता-पिता या आईआईटी दिल्ली, एनसीईआरटी और जेएनयू के दादा/दादी/नाना/नानी के लिए है।

2. श्रेणी 2 स्थायी / क्षेत्रीय केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं

3. श्रेणी 3 स्थायी / क्षेत्रीय केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय कर्मचारी हैं

4. श्रेणी 4 स्थायी / नियमित राज्य सरकार के कर्मचारी

5. श्रेणी 5 स्थायी / नियमित राज्य सरकार स्वायत्त निकाय कर्मचारी

6. श्रेणी 6 स्व-नियोजित / निजी क्षेत्र में कार्यरत / संविदा कर्मचारी हैं

**ख**. यदि RTE के तहत आवेदन किया जाता है, तो घर से सही दूरी लिखें। RTE का लाभ केवल 5 किलोमीटर के भीतर रहने वाले निवासियों के लिए है।

**ग**. एकल लड़की का अर्थ है माता-पिता की केवल एक संतान है और वह लड़की है, कोई भाई या बहन नहीं है। इसमें जुड़वां लड़कियां भी शामिल हैं

महत्वपूर्ण: कृपया सही से फॉर्म भरें। यदि फॉर्म गलत तरीके से भरा गया है तो प्रवेश नहीं दिया जा सकता है।

प्रवेश के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर अभिभावक को सहायक दस्तावेजों को दिखाना अनिवार्य होगा. प्रपत्र में भरी गई प्रविष्टियों और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के बीच कोई बेमेल नहीं होना चाहिए।

**Points to remember while filling up Registration Form for Admission to Class ONE in KV JNU 2022-23**

1. KV JNU has SIX Categories as listed below:
2. Category 1 is ONLY FOR PERMANENT/REGULAR serving/ retired Parents or Grand Parents of IIT Delhi, NCERT and JNU
3. Category 2 is PERMANENT/REGULAR Central Government Employees
4. Category 3 is PERMANENT/REGULAR Central Government autonomous bodies employees
5. Category 4 PERMANENT/REGULAR State Government Employees
6. Category 5 PERMANENT/REGULAR State Government autonomous bodies Employees
7. Category 6 is Self employed/ private sector employed/ contractual employees
8. If applying under RTE, write CORRECT Distance from home. RTE benefit is for residents living within 5 KM ONLY.
9. SINGLE GIRL CHILD means only child of parent, NO BROTHER or SISTER. This also includes twin girls

**Important:**

**Please fill form correctly. Admission may not be given if Form is not correct/ wrongly filled.**

**Parent has to produce supporting documents if shortlisted for admission.**

**There should be no mis-match between entries filled in the form and documents produced.**